

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024—भाद्र 22, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

मप्रविनिआ—क्रमांक—2086—2024

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

आदेश

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि एवं सम्बंधित मामले) विनियमन 2018, (द्वितीय संशोधन) दिनांक 14.03.2024 को अधिसूचित तथा दिनांक 15.03.2024 को मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि एवं सम्बंधित मामले) विनियमनों के द्वितीय संशोधन का विनियम 10(ब) प्रावधानित करता है कि मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र, सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन प्रभारों की गणना के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा तथा इसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से प्रक्रिया का प्रारूप आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था।

3. प्रारूप पर हितधारकों की टिप्पणियों/सुझाव/आपत्तियों आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 27.06.2024 को एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी तथा दिनांक 30.07.2024 को प्रकरण में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। निर्धारित समय तक और जन सुनवाई के दौरान प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों पर आयोग द्वारा उचित परीक्षण और विचार किया गया है।

4. आयोग तदनुसार इस आदेश के साथ अनुबंध I के रूप में संलग्न सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन प्रभारों की गणना हेतु प्रक्रिया पर अनुमोदन प्रदान करता है।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, आयोग सचिव.

सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान,

अनुसूचीकरण, विचलन प्रभारों की संगणना हेतु प्रक्रिया(Procedure for

Forecasting, Scheduling, Deviation Charges Computation of Solar Wind Hybrid Generation Projects)

1. भूमिका (Introduction)

यह प्रक्रिया मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 के द्वितीय संशोधन के उपबन्धों के अनुसार विनियम 10(ख) के उपबन्धों के अनुपालन में तैयार तथा जारी की गई है। इस प्रक्रिया को मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण-तृतीय), 2024 तथा मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2021 तथा इनके अन्तर्गत जारी अनुवर्ती संशोधनों के सहयोजन में पढ़ा जाए।

2. विस्तार एवं प्रयोज्यता (Scope & Applicability)

विस्तार में सम्मिलित है सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) ऊर्जा परियोजना से संबंधित पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण विचलन प्रभारों की संगणना तथा संबंधित मामले। यह प्रक्रिया निम्न हेतु प्रयोज्य होगी :

- एक. समस्त सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) ऊर्जा परियोजनाएं जिनकी संयोजित स्थापित क्षमता 10 MW तथा इससे अधिक है तथा जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर समेकन केन्द्र (Pooling Station) के माध्यम से राज्य ग्रिड से संयोजित हैं तथा राज्य के भीतर विद्युत का विक्रय कर रही हैं।
- दो. समस्त सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) ऊर्जा परियोजनाएं जिनकी संयोजित स्थापित क्षमता एक MW तथा इससे अधिक है तथा जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर समेकन केन्द्र (Pooling Station) के माध्यम से राज्य ग्रिड से संयोजित हैं तथा राज्य से बाहर निर्बाध (खुली) पहुंच (Open Access) के अधीन विद्युत का विक्रय कर रही हैं।
- तीन. एक ही अवस्थिति पर स्थित (co-located) या फिर अधिकतम दो भिन्न अवस्थितियों पर स्थित राज्य ग्रिड के साथ प्रत्यक्ष रूप से या समेकन केन्द्र (Pooling Station) के माध्यम से संयोजित सौर-पवन विद्युत उत्पादकों को ही सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड)

परियोजना माना जाएगा। दो भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर संयोजकता (connectivity)के प्रकरण में ग्रिड के साथ संयोजन केवल समर्पित संभरक (dedicated feeder)के माध्यम से ही किया जाएगा।

3. विद्युत उत्पादकों द्वारा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण की नियुक्ति {Appointment of Qualified Coordinating Agency (QCA) by Generators}

एक. मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के सौर-पवन विद्युत उत्पादक (एक से अधिक विधिक स्वामित्व वाले) जो राज्य ग्रिड से प्रत्यक्ष रूप से या समेकन केन्द्रों (pooling stations)के माध्यम से संयोजित हों सर्वसम्मति (consensus)के आधार पर या फिर विद्युत उत्पादकों के मध्य परस्पर सम्मत निबन्धन तथा शर्तों के आधार पर एक साझे अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (Qualified Coordinating Agency-QCA)(जिसे आगे 'QCA'निर्दिष्ट किया गया है) को नियुक्त करेंगे। अग्रणी (lead) विद्युत उत्पादकों में से कोई भी एक सर्वसम्मति के आधार पर 'QCA'के रूप में कार्य कर सकेगा जो राज्य ग्रिड के साथ समेकन केन्द्रों के माध्यम से संयोजित हो तथा इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा "QCA"के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

दो. मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के सौर-पवन विद्युत उत्पादक (एकल विधिक स्वामी) जो राज्य ग्रिड के साथ प्रत्यक्ष रूप से या फिर समेकन केन्द्र (pooling stations)के माध्यम से संयोजित हैं, द्वारा 'QCA' को नियुक्त किया जा सकेगा या फिर 'QCA' के रूप में भी कार्य कर सकेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर इन्हें "QCA"के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

तीन. यदि मिश्रित (Hybrid) परियोजना के सौर-पवन विद्युत उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी सूचना (नोटिस) की तिथि से दो (2) माह की अवधि के भीतर साझा 'QCA' नियुक्त करने में विफल रहते हों तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को चूककर्ता विद्युत उत्पादकों (defaulting generators)के संयोजन का विच्छेद (disconnection) करने हेतु परामर्श प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही करेगा।

चार. यदि मिश्रित (Hybrid) परियोजना के सौर-पवन उत्पादकों की स्थापित क्षमता के 50% से अधिक धारित करने वाले विद्युत उत्पादकों द्वारा किसी विशिष्ट 'QCA' के पक्ष में सहमति प्रदान की गई हो तो शेष विद्युत उत्पादकों द्वारा भी उसी 'QCA'को अभिकरण के रूप में नियुक्ति प्रदान करनी होगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को चूककर्ता विद्युत

उत्पादकों का संयोजन विच्छेद करने का परामर्श दिया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करते हुए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का परिपालन करना होगा।

पांच. मिश्रित (Hybrid) परियोजना के सौर-पवन उत्पादक (एकसे अधिक विधिक स्वामित्व वाले) जो राज्य ग्रिड से प्रत्यक्ष रूप से या फिर समेकन केन्द्रों (pooling stations) के माध्यम से संयोजित हों, द्वारा प्ररूप **अनुलग्नक-एक** के अनुसार अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी तथा 'QCA' द्वारा तैयार किये गये अनुबन्ध की प्रतिलिपि में स्पष्ट रूप से 'QCA' को निर्दिष्ट किया जाएगा जो समस्त विद्युत उत्पादकों की ओर से समन्वयन हेतु यथासंशोधित (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अन्तर्गत पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन प्रभार, मापन (metering), स्काडा (SCADA) तथा 'QCA' को सौंपे गये अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होगा, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर समेकन केन्द्र के माध्यम से राज्य ग्रिड के साथ संयोजित हो। मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के समस्त सौर तथा पवन विद्युत उत्पादक 'QCA' को अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे।

छः. 'QCA' अपने समन्वित विद्युत उत्पादक(ों) (coordinated generators) की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of Contact) होगा।

4. अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण ('QCA') का राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ का पंजीकरण (Registration of QCA with SLDC)

क. 'QCA' सर्वप्रथम सहमति-पत्र (consent letters) तथा विद्युत उत्पादक जिनके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है, के साथ निष्पादित अनुबन्धों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा तथा तत्पश्चात् राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पंजीकरण हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

ख. 'QCA' राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ पंजीकरण हेतु संलग्न प्ररूप (**अनुलग्नक-तीन**) में आवेदन-पत्र को यथोचित भरकर, वचन-पत्र (undertaking) संलग्न प्ररूप (**अनुलग्नक-चार**) तथा घोषणा-पत्र (declaration) संलग्न प्ररूप (**अनुलग्नक-पांच**) के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

ग. राज्य भार प्रेषण केन्द्र पात्र 'QCA' का पंजीयन करेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उसे पंजीयन क्रमांक प्रदान किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पंजीयन किये

जाने पर 'QCA'को विनियम मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के प्रयोजन से राज्य इकाई (State Entity)माना जाएगा।

- घ. प्रत्येक सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के अन्तर्गत केवल एक ही 'QCA'होगा। तथापि, एक ही 'QCA'को अनेक मिश्रित परियोजनाओं (Hybrid Projects)के लिये पंजीयन किया जा सकेगा। यदि सौर-पवन मिश्रित (hybrid)परियोजना (एकल विधिक स्वामी वाली) को प्रत्यक्ष रूप से या समेकन केन्द्र (pooling stations) के माध्यम से राज्य ग्रिड के साथ संयोजित हो ऐसा परियोजना स्वामी (project owner) भी 'QCA'के रूप में कार्य कर सकेगा तथा यथोचित भरे गये आवेदन प्ररूप, वचन-पत्र (undertaking)तथा घोषणा-पत्र (declaration)की प्रस्तुति द्वारा स्वयं को राज्य भार प्रेषण केन्द्र से पंजीकृत कर सकेगा।
- ङ. यदि 'QCA'को असत्य जानकारी के आधार पर या फिर सार्थक जानकारी को दबाकर/छिपाकर प्राप्त किया जाता है तो ऐसी इकाई के पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा।
- च. अधिकांश विद्युत उत्पादक जिनके द्वारा 'QCA'को नियुक्त किया गया है, द्वारा अनुरोध किये जाने पर 'QCA'के पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा।
- छ. 'QCA'द्वारा संबंधित विद्युत उत्पादकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुति के आधार पर उनके पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा। तदनुसार विद्युत उत्पादक द्वारा किसी अन्य 'QCA'का चयन किया जाएगा तथा पुराने 'QCA'को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व चयनित 'QCA'का पंजीयन किया जाएगा।
- ज. 'QCA' द्वारा यथासंशोधित मप्रविनिआ(पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के विनियम 2(1)(घ) के आधीन रेखांकित किन्हीं निबन्धनों/शर्तों/नियमों का अनुपालन न किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कथित 'QCA' का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।

5. अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA)की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of QCA) :

'QCA' निम्न प्रयोजन हेतु सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्पर्क का एकल बिन्दु (single point of contact) होगा :

- एक. 'QCA' समकेन केन्द्र(१) से संयोजित समस्त सौर-पवन विद्युत उत्पादकों की ओर से 15 मिनट खण्डवार उपलब्ध क्षमता तथा विद्युत उत्पादन के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी दिवस-पूर्व आधार पर मय अन्तर्दिवस नियतकालिक पुनरीक्षणों(Intraday periodic revisions) के उपलब्ध करायेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुसूचीकरण हेतु समन्वयन भी करेगा।
- दो. 'QCA'राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)/विद्युत वितरण कम्पनियों/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रति विशेष ऊर्जा मापयन्त्रों (SEMs) मय स्वचालित मापयन्त्र वाचन (Automatic Meter Reading-AMR) {मोडेम (Modem), एंटेना (Antenna) और सिम (sim)} और विशेष ऊर्जा मापयन्त्र संबंधी सुविधा के राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्थापित किये गये स्वचालित मापयन्त्र वाचन सर्वर (AMR Server) के साथ समकालन (integration) हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर सुदूर तौर पर (remotely) मापयन्त्र अधोभारण (down loading) हेतु उत्तरदायी होगा।
- तीन. 'QCA' विशेष ऊर्जा मापयन्त्रों (SEMs) का नियतकालिक परीक्षण (Periodic testing) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन तथा प्रचालन) विनियम तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार सुनिश्चित करेगा।
- चार. 'QCA' वाणिज्यिक व्यवस्थापन (Commercial settlement) का उत्तरदायित्व वहन करेगा जिनमें विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य विचलन कोष खाते (State Deviation Pool Account) की ओर/की ओर से विचलन प्रभारों का भुगतान /प्राप्ति सम्मिलित हैं।
- पांच. 'QCA' विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य विचलन कोष खाते से राशि (देय/प्राप्तियोग्य) के पृथक्करण/विखण्डन (depooling) तथा इन्हें वैयक्तिक विद्युत उत्पादकों के साथ व्यवस्थापन करने का दायित्व वहन करेगा।
- छ. 'QCA' विद्युत उत्पादकों की ओर से समस्त अन्य प्रभारों के वाणिज्यिक व्यवस्थापन (commercial settlement) का दायित्व वहन करेगा जैसा कि इन्हें समय-समय पर यथासंशोधित इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए।
- सात. 'QCA' समकेन केन्द्र (pooling station) से संयोजित पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों से निष्पादित संविदाओं/अनुबन्धों (contracts) के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा। QCA विद्युत उत्पादकों से शपथ-पत्र (affidavit) पर विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) की प्रतिलिपि द्वारा समर्थित विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) की दरें प्राप्त करेगा तथा राज्य भार प्रेषण

केन्द्र को विचलन प्रभारों (deviation charges) की संगणना (computation) हेतु प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी भी पक्ष से संबद्ध विद्युत उत्पादकों की पूर्व सम्मति के बगैर ऐसी जानकारी को साझा नहीं किया जाएगा।

आठ. 'QCA' द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा-निर्देशों तथा अन्य सम्प्रेषण नीतियों तथा नवाचारों (protocols) के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्पर्क तथा संचार हेतु नामोद्दिष्ट तथा अर्हतायुक्त परिचालक (designated and qualified operator) को प्रति दिवस चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाएगा।

नौ. 'QCA' टरबाइन/प्रतीपक (inverter) वार तथा समेकित-केन्द्रों (pooling stations) के विवरण (स्थैतिक आंकड़े) नवीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र (Renewal Energy Management Centre-REMC) द्वारा निर्धारित प्ररूप में राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट, यथा, www.sldcmpindia.com RE Generator Info-REMC Format, पर या फिर जैसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा चाहा जाए, उपलब्ध करायेगा।

दस. 'QCA' राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ 'लो वोल्टेज राइड थ्रू (Low Voltage Ride Through-LVRT)' के परिचालन से संबंधित आंकड़ों के मासिक आधार पर सम्प्रेषण में समन्वयन करेगा।

ग्यारह. 'QCA' प्रमाणिक आंकड़े, समस्त टरबाइन/प्रतीपक (Inverter) वार तथा समेकन केन्द्र (pooling station) वार स्काडा (SCADA) आंकड़े तथा समेकन केन्द्र के पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण आंकड़े तथा अन्य आवश्यक अभिलेख पंजियां तथा लेखे संधारित करेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुरोध किये जाने पर इन्हें प्रस्तुत करेगा।

बारह. 'QCA', 'QCA' की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध क्षमता (Available Capacity-AvC) तथा अन्य मानदण्डों (parameters) के आंकड़ों का विनिमय/आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा तथा वैयक्तिक टरबाइनों/प्रतीपकों (inverters) की उपलब्ध क्षमता तथा संधारण अनुसूचियों (maintenance schedules) के आंकड़ों के अन्तरण को निरन्तर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के उपयोग हेतु विद्युत पूर्वानुमान (power forecasts) तथा विचलन गणनाओं (deviation calculations) को तैयार करने हेतु सुनिश्चित करेगा।

तेरह. 'QCA' टरबाइन/प्रतीपक (inverter) स्तर के स्काडा (SCADA) आंकड़ों का समेकन केन्द्र (pooling station) को अन्तरण वास्तविक समय (real time) के भीतर किया जाना

सुनिश्चित करेगा तथा समेकन केन्द्र से संबंधित ग्रिड उप-केन्द्र के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र भी इसका बाधारहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित करेगा। दूरभाष आंकड़े प्रदाय संबंधी दिशा-निर्देश **अनुलग्नक-पांच** में दर्शायेनुसार होंगे।

चौदह. अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA) को एक राज्य इकाई (State Entity) माना जाएगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र कार्यालय द्वारा इसका पंजीकरण किया जाएगा।

6. विचलन व्यवस्थापन में सहभागिता हेतु पूर्व शर्तें (Pre-conditions for participation in Deviation Settlement Mechanism) :

सौर-पवन मिश्रित परियोजना (Solar-Wind Hybrid Project) द्वारा सहभागिता के लिये अत्यावश्यक पूर्वशर्तें (preconditions) तथा प्रसंविदाएं (covenants) निम्नानुसार होंगी:

- एक. जहां तक 'विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (Deviation Settlement Mechanism)' का संबंध है सौर-पवन (हाइब्रिड) परियोजना तथा उनके 'QCA' के साथ समान तथा भेदभाव रहित व्यवहार किया जाएगा।
- दो. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना अपने 'QCA' के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऊर्जा के विनिमय (exchange of energy) के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त संविदाओं/अनुबन्धों के बारे में सूचित करेगी।
- तीन. राज्य भार प्रेषण केन्द्रों को विद्युत प्रेषण के बारे में समस्त निर्णय पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) में समस्त संभावित तन्त्र मानदण्डों (network parameters), बाध्यताओं (constraints), संकुलनों (congestions) के मूल्यांकन पश्चात् लेगा तथा किसी तन्त्र विपथगमन (aberration) की संभावना के बारे में राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा-निर्देश समस्त सौर-पवन (हाइब्रिड) परियोजनाओं/'QCA' हेतु बाध्यकारी होंगे।
- चार. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाएं अपने उपकरणों तथा भारों का संचालन ऐसी रीति के अनुसार करेंगी जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) तथा ग्रिड संहिता के उपबन्धों से सुसंगत हो।
- पांच. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाएं अनुज्ञप्तिधारी के साथ थोक विद्युत पारेषण अनुबन्ध (Bulk Power Transmission Agreement-BPTA) तथा संयोजन अनुबन्ध (Connection Agreement) का निष्पादन करेंगी जिनके अन्तर्गत यथास्थिति, राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली तक भौतिक पहुंच तथा संयोजन की प्राप्ति के लिये विश्वसनीय परिचालन हेतु भौतिक एवं परिचालन आवश्यकताएं निर्दिष्ट की जाएंगी या फिर वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संयोजन एवं उपयोग अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।

- छ. राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर ऐसी समस्त जानकारी का प्रकाशन करेगा जैसा कि वह मप्रविनिआ(पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले)विनियम, 2018 के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो।
- सात. समस्त सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाएं उपयुक्त विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (Special Energy Meter-SEM) स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगी जो अन्तःक्षेपण बिन्दुओं (points of injection) पर समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार 15 मिनट के अन्तराल से ऊर्जा प्रवाह (energy flow) के अभिलेखन हेतु मय स्वचालित मापयन्त्र वाचन सुविधा (AMR facility){मोडेम (Modem), एंटीना (Antena), एवं सिम (Sim)} तथा विशेष ऊर्जा मापयन्त्र के आंकड़ों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर 'डाउनलोड' करने हेतु सक्षम हो। भविष्य में आगे कोई भी स्थापित किये जाने वाला नवीन विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (new SEM) दोनों 5 मिनट तथा 15 मिनट के समय अन्तराल में आंकड़ों के अभिलेखन हेतु सक्षम होगा।
- आठ. जहां सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाएं, राज्य इकाइयों के रूप में सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं से एक साथ राज्यान्तरिक संव्यवहार (intra-state transactions) तथा अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों (Inter-State transactions) का निर्वहन कर रही हों वहां अन्तर्राज्यीय के साथ-साथ राज्यान्तरिक संव्यवहारों को भी अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते ऐसे संव्यवहार समेकन केन्द्र (Pooling Station) के निम्न वोल्टेज पक्ष (LV Side) से संयोजित पृथक संभरकों के माध्यम से निष्पादित किये जाएं तथा ऐसे संभरकों हेतु मापन (metering), अनुसूचीकरण (scheduling), ऊर्जा लेखांकन (energy accounting) तथा विचलन व्यवस्थापन लेखे(deviation settlement account) पृथक से संधारित किये जाएं। ऐसे संव्यवहारों को प्रकरण में, समेकन उपकेन्द्र पर संयोजित निम्न वोल्टेज पक्ष संभरकों की अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक संव्यवहारों के प्रयोजन हेतु समेकन केन्द्र (pooling station) माना जाएगा।
7. **उपलब्ध क्षमता, पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण तथा प्रेषण की घोषणा {Declaration of Available Capacity (AvC), Forecasting, Scheduling and Despatch} :**
- एक. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता (AvC), पूर्वानुमान तथा अनुसूचीकरण की घोषणा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले)विनियम,

2018, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा इनके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार की जाएगी।

- दो. अनुसूचीकरण अवधि का संयोजन 96 समय-खण्डों (time blocks) द्वारा किया जाएगा जिनमें प्रत्येक समय-खण्ड की समयावधि 15 मिनट की होगी जो मध्य रात्रि 00.00 बजे {भारतीय मानक समय, अर्थात् IST} से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 24.00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। अनुसूचीकरण अवधि का प्रथम समय-खण्ड 00.00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर 00.15 बजे (IST), अनुसूचीकरण अवधि का द्वितीय समय-खण्ड 00.15 बजे (IST) से प्रारंभ होकर 00.30 बजे (IST) पर समाप्त होगा तथा यह सिलसिला निरन्तर आगे जारी रहेगा :

परन्तु आयोग द्वारा भविष्य में अनुसूचित की जाने वाली तिथि से, अनुसूचीकरण अवधि को प्रत्येक 5-मिनट के 288 समय-खण्डों में पुनरीक्षित किया जा सकेगा जो मध्य रात्रि 00.00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 24.00 बजे (IST) पर समाप्त होगा।

तदनुसार, अन्तरापृष्ठ मापन व्यवस्था (Interface Metering), ऊर्जा लेखांकन तथा विचलन व्यवस्था की कार्रवाई संव्यवहारों को 5 मिनट की समयावधि में पूर्ण किये जाने में सक्षम होनी चाहिए। समस्त भविष्यगामी संसाधन नियोजन (resource planning), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) तथा संचार प्रणाली आवश्यकता (Communication System Requirement) तथा अधोसंरचना का विकास (infrastructure development) इस आवश्यकता के निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

- तीन. 'QCA' समेकन केन्द्रों (pooling stations) से संयोजित विद्युत उत्पादकों की ओर से प्रत्येक सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना हेतु 15 मिनट के समय-खण्ड में उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमानित विद्युत उत्पादन (forecasted generation) घोषित करेगा। उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान को दिवस-पूर्व (dayahead) आधार पर घोषित किया जाएगा तथा वास्तविक समय परिचालन के दौरान पुनरीक्षित भी किया जा सकेगा। यदि सौर-पवन परियोजना एक ही अवस्थिति में स्थित है, अर्थात् सह-अवस्थिति (Co-located) हो तो 'QCA' परियोजना के समेकन केन्द्र (pooling station) पर उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान घोषित करेगा। ऐसे सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के प्रकरण में जो समर्पित संभरकों (dedicated feeders) के माध्यम से अधिकतम दो विभिन्न अवस्थितियों पर संयोजित हों, वहां 'QCA' द्वारा

सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना हेतु सकल उपलब्ध क्षमता (aggregate AvC) की घोषणा दो विभिन्न अवस्थितियों के उपलब्धता क्षमता (AvC) तथा दो विभिन्न अवस्थितियों के पूर्वानुमान के संयोजन द्वारा की जाएगी।

चार. 'QCA' राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अगले दिवस हेतु 15 मिनट के समय-खण्ड में दिवस पूर्व उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान संलग्न प्ररूप में (अनुलग्नक-छः) में प्रातः 06.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा।

पांच ऐसी सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाएं जो दीर्घ-अवधि या मध्यम-अवधि या लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच (open access) के अधीन राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय विद्युत की आपूर्ति करने वाली राज्य इकाइयां हैं, की अनुसूची को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अग्रिम सूचना (नोटिस) देकर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। ये पुनरीक्षण यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 के उपबन्धों के अनुसार किये जा सकेंगे।

छः. 'QCA' सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान को विद्युत उत्पादक की उपलब्धता, मौसम के पूर्वानुमान, सौर सूर्यातापन/प्रदीप्ति (solar insolation/irradiance), ऋतु (season) तथा सामान्य सौर ऊर्जा उत्पादन वक्र (normal solar generation curve) के आधार पर प्रस्तुत करेगा। 'QCA' उपलब्ध क्षमता (AvC) की घोषणा पवन टरबाइनों की संचित क्षमता (cumulative capacity) तथा सौर प्रतीपक (Inverter) के मूल्यांकन जैसा कि वे किसी समय-खण्ड में विद्युत के उत्पादन हेतु सक्षम हों, करेगा परन्तु यह मात्रा (मेगावाट में) जिस हेतु संयोजकता अनुमति (connectivity permission) प्रदान की गई है तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित सदृश पारेषण अनुबन्ध से अधिक न होगी।

सात. सामूहिक संव्यवहारों (collective transactions) के माध्यम से विद्युत का विक्रय करने वाली सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं को अनुसूचियों के पुनरीक्षण की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

आठ. राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'QCA' द्वारा उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान की प्रत्यक्ष अपलोडिंग (uploading) की सुविधा हेतु कतिपय वेब पोर्टल का सृजन करेगा। प्रत्येक 'QCA' कोसत्रारंभ पहचान (logging-in ID) तथा सांकेतिक शब्द (password) प्रदान किया जाएगा। सत्रारंभ (logging-in) पश्चात् 'QCA' दिवस-पूर्व आधार पर उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करने तथा वास्तविक समय परिचालनों (real time operations) के दौरान पुनरीक्षणों को प्रस्तुत करने हेतु सक्षम हो जाएगा। 'QCA' को

- इस वेब पोर्टल के माध्यम से तथा मेल ID-sldc.abt@mptransco.nic.in पर भी उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करना होगा।
- नौ. 'QCA' सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं के राज्यान्तरिक एवं अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों हेतु पृथक उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।
- दस. सुरक्षित, सुनिश्चित तथा विश्वसनीय ग्रिड परिचालन को सुकर बनाये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं से संबंधित विद्युत के उत्पादन का पूर्वानुमान नवीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र (Renewalable Energy Management Centre-REMC) के माध्यम से लगाया जाएगा। 'QCA' समस्त स्थैतिक आंकड़े, वास्तविक समय विद्युत प्रणाली मानदण्ड तथा मौसम संबंधी आंकड़े जैसा कि वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समेकन केन्द्रों (pooling stations) पर टरबाइन/प्रतीपक (Inverter) अवरोध योजना (Outage Plan) के पूर्वानुमान लगाये जाने हेतु लागू होते हैं, उपलब्ध करायेगा। सौर-पवन मिश्रित परियोजनाओं का पूर्वानुमान नवीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- ग्यारह. 'QCA' के समक्ष राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये पूर्वानुमान या फिर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उनके स्वयं का अनुसूचीकरण प्रदान करने का विकल्प होगा। सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं अथवा 'QCA' द्वारा चयनित पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची से विचलन के कारण किसी वाणिज्यिक प्रभाव को तत्संबंधी सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं/समेकन केन्द्रों (pooling stations) द्वारा वहन किया जाएगा।
- बारह. 'QCA' द्वारा सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं के दिवस-पूर्व पूर्वानुमान को प्राप्त किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं की प्रेषण अनुसूची (despatch schedule) जारी करेगा तथा इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड (upload) किया जाएगा।
- तेरह. आकस्मिकताओं (contingences), पारेषण की सीमाबद्धताओं (constraints), तन्त्र में संकुलन (congestion in the network), सुरक्षा प्रणाली को जोखिम होने की दशा में सुरक्षित तथा विश्वसनीय ग्रिड संचालन सुरक्षित करने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के उपबन्धों के अनुसार

सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं की अनुसूची (schedule) में कटौती की जाएगी।

चौदह. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी नियोजित कटौती/विद्युत प्रदाय बन्द करने (Shutdown)/दिवस के दौरान कतिपय समय-खण्डों में आवश्यक प्रणाली बाध्यता के प्रकरण में सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाएं/'QCA' राज्य भार प्रेषण केन्द्र के परामर्शानुसार कार्यस्थल (site) पर विद्युत उत्पादन को प्रतिबंधित करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार 'QCA'/सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं द्वारा अनुसूची को पुनरीक्षित किया जाएगा।

पन्द्रह. किसी अनियोजित कटौती/विद्युत प्रदाय बन्द करने (Shutdown)/पारेषण घटकों के विच्छेदन (tripping) या कटौती को हटाने/पारेषण घटकों की पुनर्स्थापना के प्रकरण में, इस प्रकार सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं द्वारा तत्काल समय-खण्ड हेतु घटाई गई या बढ़ाई गई विद्युत उत्पादन क्षमताओं की विचलन व्यवस्थापन गणनाओं (calculations) से (जब अनुसूचित विद्युत उत्पादन को उनके वास्तविक विद्युत उत्पादन के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा) चतुर्थ समय-खण्ड तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करने के पश्चात् छूट प्रदान की जाएगी जिसके अनुसार प्रथम समय-खण्ड वह होगा जब राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस संबंध में सूचना प्रदान की गई हो।

सोलह. राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'QCA' द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमान तथा दिवस के अन्तर्गत पुनरीक्षणों (Intra-day revisions) के आधार पर सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं की (समेकन-केन्द्रवार) 15 मिनट की खण्ड-वार कार्यान्वित अनुसूचियां (implemented schedules) तैयार करेगा तथा इन्हें राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर तीन दिवस के भीतर प्रकाशित करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई कार्यान्वित अनुसूचियां 'QCA' के परीक्षण/सत्यापन के लिये पांच दिवस की अवधि हेतु उपलब्ध रहेंगी। यदि 'QCA' द्वारा चूक/त्रुटि के बारे में अवगत कराया जाता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र तत्काल इसका पूर्ण परीक्षण करेगा तथा इसमें उचित सुधार करेगा।

सत्रह. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं से उनके समेकन केन्द्रों (pooling stations) की उपलब्ध क्षमता (AvC) को सटीक प्रकार से घोषित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के संज्ञान में वास्तविक समय प्रचालन के दौरान उपलब्ध क्षमता की घोषणा में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो इसे छूत (gaming) अर्थात् जुआ खेलना माना जाएगा तथा इसे आयोग को प्रतिवेदित किया जाएगा।

8. मापन व्यवस्था, आंकड़ा संग्रहण/पारेषण तथा संचार (Metering, Data Collection/Transmission and Communication) :

एक. राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित की गई स्वचालित मापयन्त्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से मापयन्त्र आंकड़े प्राप्त न होने की दशा में, संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि वह मापयन्त्र आंकड़ों को हस्तचालित व्यवस्था (manual) के माध्यम से डाउनलोड करने की व्यवस्था करे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ई-मेल ID abttmpsem@gmail.com पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सूचित किये जाने पर दो दिवस के भीतर इसे प्रदान करे। विद्युत वितरण कम्पनियों तथा राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा एक समन्वयन अधिकारी (Nodal Officer) को नामांकित किया जाएगा जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मापयन्त्र आंकड़े (meter data) उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

दो. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं में जहां कोई पृथक समेकन केन्द्र (pooling station) उपलब्ध न हो तथा संभरक प्रत्यक्ष रूप से ग्रिड उप-केन्द्र से संयोजित हो वहां मापन प्रांगण पर ग्रिड उप-केन्द्र से पूर्व या ग्रिड उप-केन्द्र पर स्थापित अन्तरापृष्ठ मापयन्त्र (interface meter) को सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के विचलन प्रभारों की गणना के प्रयोजन से समेकन केन्द्र (pooling station) माना जाएगा।

9. विचलन प्रभारों की संगणना (Computation of Deviation Charges) :

एक. राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'QCA' द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अनुसूचियों तथा संबद्ध वितरण कम्पनियों/राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) या स्वचालित मापयन्त्र वाचन प्रणाली (AMR system) के माध्यम से प्राप्त विशेष ऊर्जा मापयन्त्र आंकड़ों (SEM data) पर आधारित अर्हतायुक्त सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं, की मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के समेकन केन्द्रों के विचलन प्रभारों की संगणना करेगा।

दो. राज्य ग्रिड के साथ दो भिन्न-भिन्न अवस्थितियों पर संयोजित सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना हेतु विचलन प्रभारों की संगणना सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) ऊर्जा परियोजना के समेकन केन्द्रों के कुल सकल मापयन्त्र आंकड़ों तथा कुल सकल उपलब्ध क्षमता (aggregated AvC) तथा अनुसूची (Schedule) पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु यह कि दोनों संयोजित अवस्थितियों, अर्थात् समेकन केन्द्रों (pooling stations) से कुल संव्यवहारित ऊर्जा या तो अन्तर्राज्यीय होगी या फिर राज्यान्तरिक।

- तीन. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना, जो दो भिन्न-भिन्न अवस्थितियों पर राज्य ग्रिड के साथ संयोजित हो तथा सदृश (same) समेकन केन्द्र(pooling station) से एक अवस्थिति पर अन्तर्राज्यीय तथा अन्य अवस्थिति पर राज्यान्तरिक ऊर्जा का संव्यवहार (transaction) कर रही हो तो विचलन प्रभारों की संगणना समेकन केन्द्रों पर प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार(transaction) हेतु की जाएगी।
- चार. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना जो मात्र एक ही अवस्थिति पर संयोजित हो, अर्थात् राज्य ग्रिड के साथ सह-संयोजित (co-located) हो तथा सदृश (same) समेकन केन्द्र से अन्तर्राज्यीय के साथ-साथ राज्यान्तरिक भी ऊर्जा का संव्यवहार कर रही हो तो विचलन प्रभारों की संगणना प्रत्येक प्रकार हेतु पृथक-पृथक समेकन केन्द्र पर संयोजित निम्न वोल्टेज पक्ष संभारक(ों) {LV side feeder(s)} की अनुसूची (schedule) तथा मापयन्त्र आंकड़ों (meter data) पर विचार करते हुए की जाएगी।
- पांच. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजनाओं हेतु विचलन प्रभारों की संगणना सौर तथा पवन विद्युत उत्पादन केन्द्रों के विचलन प्रभार खातों हेतु अनुसरण की जा रही क्रियाविधि के अनुरूप साप्ताहिक आधार पर की जाएगी।
- छ. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्रों के साथ-साथ पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों (Wind and Solar Generating Stations) के विचलन प्रभारों को प्रकाशन मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले)विनियम, 2018 के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर किया जाएगा जिसे तत्संबंधी इकाइयों (entities) हेतु 15 दिवस की अवधि हेतु परीक्षण/जांच-पड़ताल (checking)/सत्यापन (Verification) हेतु खुला रखा जाएगा। यदि 'QCA' द्वारा किसी प्रकार की विसंगति प्रकट की जाती हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र इसकी पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल करेगा, त्रुटि का सुधार करेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर इसे पुनः प्रकाशित करेगा।
- सात. यदि अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA) या सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्र उपलब्ध क्षमता (available capacity) तथा पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन संबंधी जानकारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रस्तुत न करते हों तो ऐसे समेकन केन्द्रों (pooling stations) के विचलन प्रभारों (deviation charges) की संगणना उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन को 'शून्य (Zero)' मानकर की जाएगी।

आठ. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्र जो अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हों, के विचलन प्रभारों (deviation charges) की संगणना **तालिका-एक(क)** तथा **एक(ख)** तथा जो राज्यान्तरिक संव्यवहारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हो, की संगणना **तालिका-तीन** के अनुसार यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार निम्न उप-खण्डों के अन्तर्गत रेखांकित उपबन्धों के अधीन की जाएगी :

क. **अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्र (Solar-Wind Hydro Generating Stations undertaking Intra-State transactions) :**

एक. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्र जो अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के दायित्वों का निर्वहन करने वाली इकाइयां हैं, का भुगतान अनुसूचित विद्युत उत्पादन (scheduled generation) के अनुसार किया जाएगा।

दो. जहां वास्तविक विद्युत उत्पादन अनुसूचित विद्युत उत्पादन से कम हो वहां विद्युत उत्पादन में कमी हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान ऐसे सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्रों द्वारा जो राज्य इकाइयां हैं, राज्य विचलन कोष खाते (State Deviation Pool Account) में इस प्रक्रिया के अन्त में संलग्न **तालिका-एक क** में दर्शाये गये अनुसार किया जाएगा।

तीन. जहां वास्तविक उत्पादन अनुसूचित विद्युत उत्पादन से अधिक हो वहां आधिक्य विद्युत उत्पादन हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान ऐसे सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) केन्द्रों द्वारा जो राज्य इकाइयां हैं, राज्य विचलन कोष खाते (State Deviation Pool Account) से इस प्रक्रिया के अन्त में संलग्न **तालिका-1(ख)** में दर्शाये गये अनुसार किया जाएगा।

चार. **तालिका-एक(क)** तथा **तालिका-एक (ख)** के अन्तर्गत उल्लिखित स्थाई-दर (Fixed Rate) विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) दर है, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अधिनियम 62 के अधीन अवधारित किया गया है या फिर इसे आयोग द्वारा अधिनियम 63 के अधीन अपनाया गया है। बहुविध (multiple) विद्युत क्रय अनुबन्धों के प्रकरण में विद्युत क्रय अनुबन्ध दरों के भारित औसत (weighted average) को नियत दर (fixed rate) के रूप में लिया जाएगा। सौर-पवन विद्युत उत्पादक (Solar-Wind Generators) विचलन प्रभार खाता तैयार करने के प्रयोजन से विद्युत अनुबन्ध दरों (PPA Rates) को

शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करेंगे जिसके समर्थन में विद्युत क्रय अनुबन्ध की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।

पांच. निर्बाध (खुली) पहुंच (Open Access) सहभागियों हेतु स्थाई-दर (Fixed Rate), जहां कोई विद्युत क्रय दर (PPA rate) उपलब्ध न हो, राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत लागत (APPC) दर होगी जैसा कि इसका अवधारण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर पृथक आदेश के माध्यम से किया जाए।

छ. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों के राज्य इकाइयों के रूप में अन्तर्राज्यीय चक्रण संव्यवहारों के संबंध में क्रेताओं के अनुपालन की समझे गये नवीकरणीय क्रय आबन्ध (Renewable Purchase Obligation-RPO) के सन्तुलन हेतु समस्त सौर-पवन मिश्रित विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा विचलन को समस्त कोष (Pool) हेतु मासिक आधार पर सर्वप्रथम पृथक्कृत (net-off) किया जाएगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किसी अवशेष कमी के बराबर राशि के अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (Other Renewable Energy Certificates-RECs) के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा या फिर उक्त प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति जो कोष खाता (Pool Account) संधारित करती हो, कोष खाते से निधियों के उपयोग द्वारा सन्तुलित किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के धनात्मक सन्तुलन हेतु बराबर राशि के काल्पनिक (notional) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र(RECs)विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष (DSM Pool) को आकलित (क्रेडिट) किये जाएंगे तथा भविष्य में व्यवस्थापन (settlement) हेतु आगे बढ़ाये (carry forwarded) जाएंगे।

ख. राज्यान्तरिक संव्यवहारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्र (Solar-Wind Hybrid Generating Stations undertaking Intra-State Transactions) :

एक. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्रजो राज्य इकाइयां हैं तथा राज्यान्तरिक संव्यवहारों के दायित्वों का निर्वहन करती हो, का भुगतान वास्तविक विद्युत उत्पादन के अनुसार किया जाएगा।

दो. जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या फिर किसी समेकन केन्द्र (pooling station) का वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से, यथास्थिति कम या अधिक हो वहां कम या अधिक विद्युत उत्पादन हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान यथास्थिति, सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों या 'QCA' द्वारा राज्य विचलन कोष खाते (State

Deviation Pool Account) को देय होगा, जैसा कि इसे प्रक्रिया के अन्त में संलग्न तालिका-तीन में दर्शाया गया है।

तीन. राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्त सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों हेतु समय-खण्डवार अनुसूचियों, वास्तविक विद्युत उत्पादन, विचलनों, विचलन प्रभारों के पृथक अभिलेख तथा लेखा संधारित करेगा।

चार. समस्त सौर-पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों को राज्य विचलन कोष एवं खाते के अन्तर्गत एक साथ मिलकर एक वास्तविक कोष माना जाएगा। इस वास्तविक कोष हेतु तथा इसके अन्तर्गत सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों हेतु विचलनों का सर्वप्रथम व्यवस्थापन उपरोक्त दरों तथा क्रियाविधि द्वारा किया जाएगा।

10. विचलन प्रभारों का व्यवस्थापन (Settlement of Deviation Charges) :

सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों के पवन तथा सौर समेकन केन्द्रों (Wind and Solar Pooling Stations) हेतु व्यवस्थापन यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

11. विचलन प्रभारों हेतु प्रतिभूति राशि का भुगतान (Payment of Security towards Deviation Charges) :

अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA) को सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादक केन्द्रों के विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभारों (DSM Charges) के व्यवस्थापन के प्रति निम्न प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी (BG) के रूप में राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्य विचलन कोष खाते (State Deviation Pool Account) में जमा करनी होगी :

एक. सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं : सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों की संयोजित स्थापित क्षमता हेतु रु 25,000/- प्रति MW या MW में वह मात्रा (quantum) जिस हेतु संयोजकता की स्वीकृति प्रदान की गई हो, इनमें से जो भी कम हो।

दो. प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी तीन वर्षों की अवधि हेतु वैध होगी जिसे किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार इसकी समय-समय पर समयावृद्धि की जा सकेगी। प्रतिभूति राशि की समीक्षा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभारों की वास्तविक घटना पर आधारित मई माह के अन्त में की जाएगी।

तीन. 'QCA' द्वारा 'राज्य विचलन कोष खाते' में विचलन हेतु विवरण पत्र जारी होने की तिथि से 12 दिवस की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर तथा तत्पश्चात् विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) लेखा जारी होने के 60 दिवस की चूक होने के बावजूद भी उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंध 'QCA' की बैंक गारंटी का नगदीकरण कर सकेगा तथा संबंध 'QCA' को इस राशि की प्रतिपूर्ति (recoupment) 15 दिवस के भीतर करनी होगी।

12. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन (Compliance of SLDC Instructions) :

इन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत भले ही कुछ भी विनिर्दिष्ट क्यों न किया गया हो, सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादकों और 'QCA' राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अन्तःक्षेपण (injection) के संबंध में ग्रिड सुरक्षा तथा ग्रिड अनुशासन के हित में जारी निर्देशों का कठोरता पूर्वक अनुसरण करेंगे।

13. चूक की घटनाएं तथा इससे जुड़े परिणाम (Events of default and consequences thereof) :

निम्न घटनाएं 'QCA' / विद्युत उत्पादकों द्वारा चूक किये जाने का निमित्त बनेंगी :

- (क) 'QCA'/विद्युत उत्पादकों द्वारा विचलन प्रभारों का भुगतान न किया जाना या फिर इनके भुगतान में विलंब किया जाना।
- (ख) इस प्रक्रिया तथा यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले)विनियम, 2018 के अन्तर्गत रेखांकित किन्हीं भी निबन्धनों/शर्तों/नियमों का अपनाना।
- (ग) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का अपालन जब तक ऐसे दिशा-निर्देश यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले)विनियम, 2018 के किसी भी उपबन्ध से असंगत हों।
- (घ) जब असत्य सूचना के आधार पर या भौतिक सूचना को दबा/छुपा कर पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

उपरोक्त चूकों के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही:

- (क) ग्रिड में विच्छेदन (disconnection) करने संबंधी नोटिस जारी करने से पूर्व राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'QCA'/विद्युत उत्पादकों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय देगा।
- (ख) यदि 'QCA'/विद्युत उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सूचना (नोटिस) में अभिव्यक्त चुका का निराकरण/सुधार निर्दिष्ट की गई 14 दिवस की समयावधि के भीतर करने में विफल रहता हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'QCA' कापंजीकरण निरस्त करने तथा ग्रिड से विच्छेदन संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

14. कठिनाइयां दूर करना (Removal of Difficulties) :

इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई के बारे में प्रक्रिया की समीक्षा या पुनरीक्षण हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्या के निराकरण हेतु अपेक्षित विवरण के साथ आयोग से सम्पर्क कर सकेगा।

टीप: इस सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन प्रभारों की संगणना हेतु प्रक्रिया के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

X _____ X _____ X

तालिका-एक(क) राज्य इकाइयां जो अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के दायित्वों का निर्वहन सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन के रूप में कर रही हो के बारे में कम अन्तःक्षेपण (under injection)के प्रकरण में विचलन प्रभार		
अनुक्रमांक	15 मिनट के समय-खण्ड में संपूर्ण त्रुटि (Absolute Error)	राज्य विचलन कोष खाते को देय (payable) विचलन प्रभार (Deviation Charges)
1	$\leq 10\%$	10% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु स्थाई दर (Fixed Rate)पर
2	$> 10\%$ किन्तु $\leq 15\%$	(10%तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु स्थाई दर पर $+(10\%$ से अधिक तथा 15% तक अवशेष ऊर्जा हेतु स्थाई दर का 110%)
3	$> 15\%$	(10% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु स्थाई दर पर) $+(10\%$ से अधिक तथा 15%तक अवशेष ऊर्जा हेतु स्थाई दर का 110%)(15% से अधिक अवशेष ऊर्जा हेतु स्थाई दर का 150%)

तालिका-एक(ख) राज्य इकाइयां जो अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के दायित्वों का निर्वहन सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन के रूप में कर रही के बारे में आधिक्य अन्तःक्षेपण (over injection)के प्रकरण में विचलन प्रभार		
अनुक्रमांक	15 मिनट के समय-खण्ड में संपूर्ण त्रुटि (Absolute Error)	राज्य विचलन कोष खाते से प्राप्तियोग्य (receivable)विचलन प्रभार (Deviation Charges)
1	$\leq 10\%$	10% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु आधिक्य ऊर्जा हेतु स्थाई दर (Fixed Rate) पर
2	$> 10\%$ किन्तु $\leq 15\%$	(10% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु आधिक्य ऊर्जा हेतु स्थाई दर (Fixed Rate) पर) $+(10\%$ से अधिक तथा 15% तक आधिक्य ऊर्जा हेतु स्थाई दर का 90%)
3	$> 15\%$	(10% से अधिक तथा 15% तक आधिक्य ऊर्जा हेतु स्थाई दर के 90%) $+(10\%$ से अधिक तथा 15% तक की आधिक्य ऊर्जा हेतु स्थाई दर का 90%) $+(15\%$ से अधिक आधिक्य ऊर्जा हेतु शून्य)

तालिका-तीन : राज्य के भीतर, अर्थात् राज्यान्तरिक विद्युत विक्रय हेतु सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) उत्पादन केन्द्रों द्वारा कम अन्तःक्षेपण (under injection)या आधिक्य अन्तःक्षेपण (Over Injection) के प्रकरण में विचलन प्रभार		
अनुक्रमांक	15 मिनट के समय-खण्ड में संपूर्ण त्रुटि (Absolute Error)	राज्य विचलन कोष खाते को देय (Payable) विचलन प्रभार
1	$\leq 10\%$	शून्य (None)
2	$> 10\%$ किन्तु $\leq 15\%$	(10% से अधिक तथा 15% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी या आधिक्य हेतु रु 0.50 प्रति यूनिट की दर से)
3	$> 15\%$ किन्तु $\leq 20\%$	10% से अधिक तथा 15% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी या आधिक्य हेतु रु 0.50 प्रति यूनिट की दर से) +(15% से अधिक तथा 20% तक अवशेष ऊर्जा हेतु रु 0.75 प्रति यूनिट की दर से)
4	$> 20\%$	(10% से अधिक तथा 15% तक की सम्पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी या आधिक्य हेतु रु 0.50 प्रतिशत यूनिट की दर से) (15% से अधिक तथा 20% तक अवशेष ऊर्जा हेतु रु 0.75 प्रति यूनिट की दर से) +(20% से अधिक अवशेष ऊर्जा हेतु रु 1.00 प्रति यूनिट की दर से)

अनुलग्नक-एक

सहमति पत्र प्ररूप(Consent Letter Proforma)

प्रति

मुख्य अभियन्ता,
राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
एमपीपीटीसीएल, नयागांव,
जबलपुर- 482008

विषय :-समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि) विनियम, 2018 के अनुसार अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण (QCA)की नियुक्ति।

महोदय,

निवेदन हे कि पवन/सौर विद्युत उत्पादक के बतौर (नाम) समेकन केन्द्र (Pooling Station) हेतु मेरे/हमारे द्वारा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि) विनियम, 2018 के अनुसार कथित केन्द्र के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण एवं वाणिज्यिक व्यवस्थापन हेतु एक मात्र को अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण (QCA)नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

..... (नाम) समेकन केन्द्र (Pooling Station) पर हमारी क्षमता (मेगावाट है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

सरल क्रमांक	ग्राहक का नाम	पवन टरबाइन उत्पादकों/पैनलों की संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	मेल आईडी दूरभाष सम्पर्क	क्षमता MW में
1	नाम	Y	नाम	मेल आईडी दूरभाष सम्पर्क	

निवेदन है कि तात्कालिक प्रभाव से (नाम) समेकन केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) पर 'QCA' की भूमिका का निर्वहन द्वारा किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र क्रमांक 1. (व्यक्ति का नाम)

पता

दूरभाष (कार्यालय) (मोबाइल) (ई-मेल)

सम्पर्क सूत्र क्रमांक 2 (व्यक्ति का नाम)

मोबाइल (ई-मेल)

सम्पर्क सूत्र क्रमांक 3 (व्यक्ति का नाम)

(कार्यालय) (ई-मेल)

उपरोक्त जानकारी सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ प्रस्तुत है।

शुभेच्छु,

<<हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम >>

<<हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का पदनाम >>

अनुलग्नक-दो

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) में अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (Qualified Coordinating Agency-QCA) के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

सरल क्रमांक	विवरण	
1	निवेदन का आशय-जो लागू हो उस पर सही निशान अंकित करें	नवीन पंजीयन/पंजीयन में परिवर्तन/पंजीयन का निराकरण
2	अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (Qualified Coordinating Agency-QCA) का नाम	
3	पंजीकृत पता	
4	कार्यालय का दूरभाष क्रमांक/फैक्स/ई-मेल	
5	नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक/फैक्स/ई-मेल	
6	समन्वयन अधिकारी (Nodal Officer)/सम्पर्क सूत्र का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल, फैक्स तथा ई-मेल संबंधी जानकारी	
7	समेकन केन्द्र (Pooling Station) वार कुल पवन/सौर विद्युत उत्पादन क्षमता जिस हेतु 'QCA' पंजीयन की आवश्यकता है	
8	समेकन केन्द्र (pooling station) वार विद्युत उत्पादकों की सूची मय सहमति पत्र के तथा विद्युत उत्पादकों से निष्पादित अनुबन्ध की प्रतिलिपि संलग्न है। सूची में निम्न से संबंधित जानकारी सम्मिलित है-समेकन केन्द्र (नाम तथा पता), क्षमता MW में, प्रकार, वोल्टेज KV में, ग्रिड उप-केन्द्र का नाम, संयोजित विद्युत उत्पादकों के नाम मय क्षमता MW में	
9	'QCA' तथा विद्युत उत्पादकों (Generators) के मध्य अनुबन्ध के क्रियाशील होने की तिथि	

10	विद्युत उत्पादकों (Generators) के साथ अनुबन्ध की अवधि	
11	राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय पंजीकरण शुल्क के विवरण (सीति)/क्रमांक/दिनांक)	
12	विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) के संव्यवहार हेतु 'QCA' का बैंक खाता संबंधी विवरण	
(i)	बैंक खाता क्रमांक -	
(ii)	बैंक (IFSC) कोड -	
(iii)	बैंक का नाम -	
(iv)	बैंक का पता -	
13	वचनबद्धता (undertaking)	
(i)	हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि हम यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 विनियामक उपबन्धों के अनुपालन के बारे में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेंगे।	
(ii)	हम एतद्द्वारा वचन भी देते हैं कि हम अनुबन्ध के समापन(termination)/उल्लंघन(breach) के बारे में यदि कोई हो, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करेंगे तथा 'QCA' के दायित्वों का निर्वहन विद्युत उत्पादकों के वैध प्राधिकार के बिना निष्पादित नहीं करेंगे।	
(iii)	हम मप्रविनिआ द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की भी सहमति प्रदान करते हैं।	
		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-तीन

**भावी अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (Qualified Coordinating Agency-QCA) द्वारा पंजीकरण
के समय प्रस्तुत किये जाने वाला वचन-पत्र**

नाम : मेसर्स ('QCA'का नाम) (डाक का पता)
.....(इस वचन पत्र को 'QCA'द्वारा 100 रुपये की राशि के स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा)

- हम, अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA)के रूप में यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 द्वारा नियंत्रित होंगे।
- हम, अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA)के रूप में मप्रविनिआ विनियमों के अनुसार समेकन केन्द्रों (pooling stations)/नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों के विचलन प्रभारों के व्यवस्थापन हेतु उत्तरदायी होंगे जिस हेतु हम 'QCA'के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मप्रविनिआ विनियमों के अनुसार हम 'QCA' के रूप में सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) समेकन केन्द्रों (pooling stations)/राज्य पारेषण उपयोगिता से संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों/विद्युत वितरण कम्पनी उपकेन्द्रों की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को दिवस पूर्व आधार पर पूर्वानुमान अनुसूचियां उपलब्ध करये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हैं।
- हम, 'QCA'के रूप में 'QCA'की नियुक्ति बाबत समेकन केन्द्र (pooling station)/नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादकों से सहमति पत्र (consent letter)प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान करते हैं।
- हम भलीभांति यह समझते हैं कि मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 के अनुसार हम अनुसूचियों का पुनरीक्षण कर सकते हैं।
- हम सहमति देते हैं कि यदि अनुसूची में कोई विचलन होगा तो ऐसी ऊर्जा हेतु विचलन प्रभार समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ विनियमों के अनुसार प्रयोज्य होंगे।
- हम मिश्रित (हाइब्रिड) समेकन केन्द्र (pooling station) से संयोजित सौर-पवन विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य भार पारेषण केन्द्र के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थापनों हेतु उत्तरदायी होंगे।
- हम भलीभांति यह समझते हैं कि राज्य भार पारेषण केन्द्र समेकन केन्द्रों (pooling stations) हेतु विचलन प्रभारों की संगणना यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार करेगा तथा इसे अपनी वेबसाइट पर साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित करेगा।
- हम 'QCA' के रूप में समस्त संव्यवहारों (transactions) अर्थात् लेन-देन हेतु समय-समय पर (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के उपबन्धों का पालन करेंगे।

10. हम अनुश्रवण (monitoring) तथा बिलिंग (billing) के प्रयोजन से प्रक्रियानुसार टरबाइन/प्रतीपक (inverter) तथा समेकन केन्द्र (pooling station) के आवश्यक स्काडा आंकड़ों (SCADA data) की स्थापना करेंगे।
11. विद्युत उत्पादन प्रणाली में कोई दोष होने की दशा में जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में गिरावट आती हो, तो हम पूर्वानुमान का पुनरीक्षण करेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रक्रियानुसार इसके बारे में अवगत करायेंगे।
12. हम सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु रु 25000 प्रति MW की समकक्ष राशि की बैंक गारंटी का भुगतान करने की सहमति प्रदान करते हैं।
13. हम राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों के अनुसार पवन टरबाइन उत्पादक (WTG)/प्रतीपक (Inverter) वार स्थैतिक आंकड़े (static data) एवं समेकन केन्द्र (pooling station) विवरण प्रदान करने की सहमति प्रदान करते हैं।
14. हम सहमति प्रदान करते हैं कि यदि विचलन प्रभारों हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि जारी होने की तिथि से प्रभारों के विरुद्ध भुगतानों में दो दिवस से अधिक का विलम्ब होता है, अर्थात् बार (12) दिवस से अधिक का, तो चूककर्ता 'QCA' को विलम्ब के प्रत्येक दिवस हेतु 0.04 प्रतिशत प्रति दिवस की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। हम आगे यह सहमति भी प्रदान करते हैं कि विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाता (DSM account) जारी होने पर हमारे द्वारा 60 दिवस की चूक के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा बैंक गारंटी निरस्त करने की प्रक्रिया कार्यान्वित की जा सकेगी।

हम एतद् द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, एमपीपीटीसीएल, जबलपुर मध्यप्रदेश के साथ के 'QCA' के रूप में पंजीकरण हेतु उपरोक्त निबन्धन और शर्तों के पालन हेतु सहमति प्रदान कर रहे हैं।

बैंक गारंटी के विवरण संलग्न हैं।

(क्यूसीए का नाम तथा डाक पता)

समेकन केन्द्र (pooling station) हेतु :

एमपीपीटीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी उपकेन्द्र स्टेशन :

अन्तःक्षेपण बिन्दु (injecting point) पर वोल्टेज स्तर :

समेकन केन्द्र (pooling station) से संयोजित विद्युत उत्पादकों की सूची मय उनकी स्थापित क्षमता के जिस हेतु सहमति प्राप्त की जा रही है :

1.

2.

घोषणा : उपरोक्त समस्त कथन सत्य तथा सही हैं।

'QCA' का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक-चार**घोषणा-पत्र (DECLARATION)**

{यह घोषणा-पत्र आवेदक (QCA) के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा}

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

मैं/हम ऐसी निबन्धन तथा शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे जैसी कि वे मप्रविनिआ, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय-समय पर सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण तथा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि में सहभागिता हेतु अधिरोपित की जाए।

मैं/हम एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि :

मेरे/हमारे द्वारा 'QCA' के दायित्व में समेकन केन्द्रों (pooling stations) से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादकों से सहमति प्राप्त कर ली गई है तथा अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जा रही है।

सरल क्रमांक	समेकन केन्द्र (Pooling Station) का नाम	विद्युत उत्पादक का नाम	टरबाइनों/इन्वर्टरों की संख्या	प्रत्येक टरबाइन/इन्वर्टर की क्षमता	कुल क्षमता	'QCA' के दायित्वाधीन स्वीकार किया गया
1						
2						
समेकन केन्द्र (Pooling Station) की कुल क्षमता						

क्षतिपूर्ति (INDEMINIFICATION)

मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के सौर-पवन विद्युत उत्पादक (Solar Wind Energy Generators of Hybrid Project) तथा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (QCA) सदैव राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किसी भी क्षति से मुक्त रखेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किसी भी तथा समस्त प्रकार की क्षतियों, हानियों, दावों तथा कार्यवाहियों से क्षतिविहीन रखने हेतु उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो किसी व्यक्ति को पहुंची चोट या हुई मृत्यु या सम्पत्ति को पहुंची क्षति, मांगों, वादों, वसूलियों, लागतों तथा व्ययों, न्यायालय संबंधी लागतों, न्यायवादी (अटार्नी) शुल्क तथा तृतीय पक्षकार को या उसके द्वारा अन्य समस्त प्रतिबद्धताएं जो विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि के अन्तर्गत 'QCA' के पंजीकरण से उद्भूत हों या परिणामस्वरूप घटित हों, का प्रतिरक्षण करेंगे तथा उनसे बचाने का वचन देते हैं।

मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना के सौर-पवन विद्युत उत्पादक तथा (QCA) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सदैव किसी क्षति से मुक्त रखेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को समस्त प्रकार की क्षतियों, दावों तथा कार्यवाहियों से जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ-साथ विद्युत उत्पादकों के विवादों से उद्भूत हों, जिनमें गोपनीय विषय भी सम्मिलित होंगे की क्षतिपूर्ति करने, प्रतिक्षण करने तथा बचाये जाने का वचन देते हैं।

दिनांक

'QCA' के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-पांच

दूरमापन तथा ध्वनि संचार, के नियोजन हेतु दिशा-निर्देश

(Guidelines For Planning of Telemetry and Voice Communication)

सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) परियोजना हेतु दूरमापन तथा ध्वनि संचार के नियोजन हेतु दिशा-निर्देश मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के प्रथम संशोधन की अनुसूची-छः, यथा, {दूरमापन (टेलीमीटरी) तथा ध्वनि संचार (वायस कम्यूनिकेशन) के नियोजन हेतु दिशा-निर्देश} में विनिर्दिष्ट किये गये के अनुरूप होंगे।

अनुलग्नक-छः

राज्य भार प्रेषण केन्द्र-जबलपुर
(State Load Despatch Centre-Jabalpur)

..... मेगावाट सौर-पवन मिश्रित (हाइब्रिड) विद्युत परियोजना, मेसर्स
..... द्वारा समेकन केन्द्र (Pooling Station) पर संचालित, मेगावाट उपलब्ध
क्षमता (AvC) तथा मेगावाट का पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन (Forecasted
Generation)

FOR तिथि
REV. क्रमांक
समय
अभ्युक्तियां

खण्ड क्रमांक	समय से	समय तक	निकाय केन्द्र (पुलिंग स्टेशन) का नाम	
			उपलब्ध क्षमता (AvC) MWमें	पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन MWमें
1	0 : 00	0 : 15		
2	0 : 15	0 : 30		
3	0 : 30	0 : 45		
4	0 : 45	1 : 00		
5	1 : 00	1 : 15		
6	1 : 15	1 : 30		
7	1 : 30	1 : 45		
8	1 : 45	2 : 00		
9	2 : 00	2 : 15		
10	2 : 15	2 : 30		
11	2 : 30	2 : 45		
12	2 : 45	3 : 00		
13	3 : 00	3 : 15		
14	3 : 15	3 : 30		
15	3 : 30	3 : 45		
16	3 : 45	4 : 00		
17	4 : 00	4 : 15		
18	4 : 15	4 : 30		
19	4 : 30	4 : 45		
20	4 : 45	5 : 00		
21	5 : 00	5 : 15		
—	—	—		
—	—	—		
—	—	—		
—	—	—		
—	—	—		
90	22 : 15	22 : 30		
91	22 : 30	22 : 45		
92	22 : 45	23 : 00		
93	23 : 00	23 : 15		
94	23 : 15	23 : 30		
95	23 : 30	23 : 45		
96	23 : 45	24 : 00		

Sub: Procedure for Forecasting, Scheduling, Deviation charges computation of solar wind hybrid generation projects.

ORDER

MPERC (forecasting, scheduling & deviation settlement mechanism and related matters of wind and solar generating stations) Regulation 2018, (2nd amendment) has been notified on 14.03.2024 and published in the Gazette of MP on 15.03.2024.

2. Clause 10 B of second amendment to MPERC (forecasting, scheduling & deviation settlement mechanism and related matters of wind and solar generating stations) Regulation 2018, (2nd amendment) provides that SLDC shall prepare a procedure for forecasting, scheduling and deviation charges computation for solar wind hybrid projects & submit it for the approval of the commission. Accordingly, SLDC submitted a draft of procedure vide letter dated 14.06.2024 for the approval of the Commission.
3. A public notice was issued on 27.06.2024 seeking comments of stakeholders and public hearing was held in the matter on 30.07.2024. The comments received till stipulated time and during public hearing have been examined and considered by the Commission appropriately.
4. The Commission accordingly hereby accord approval on the procedure for forecasting, scheduling and deviation charges computation of solar wind hybrid projects annexed with this order as annexure I.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

PROCEDURE FOR FORECASTING, SCHEDULING, DEVIATION
CHARGES COMPUTATION OF SOLAR WIND HYBRID
GENERATION PROJECTS

1. Introduction –

This procedure has been prepared and issued in compliance to the provisions of Regulation 10(B) of Second Amendment of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating Stations) Regulations 2018. This procedure shall be read in conjunction with MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating Stations) (FSDSM) Regulations 2018, Madhya Pradesh Electricity Grid Code (Revision-III), 2024 and MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) (Revision-I) Regulations 2021 and subsequent amendments issued thereof.

2. Scope & Applicability–

The scope includes forecasting, scheduling, Deviation Charges computation and related matters of Solar Wind Hybrid Power Project. The procedure shall be applicable to:

- i. All Solar Wind Hybrid Power Projects having a combined installed capacity of 10 MW and above connected directly or via pooling station to State Grid and selling power within the State.
- ii. All Solar Wind Hybrid Power Projects having a combined installed capacity of 1 MW and above connected directly or via pooling station to State Grid and selling power outside the State under open access.
- iii. The Solar Wind Generators connected directly or via pooling station with the State Grid at the same location (co-located) or maximum at two different locations shall be considered as Solar Wind Hybrid Project. In case of connectivity at two different points, the connection with grid shall be through dedicated feeder only.

3. Appointment of QCA by Generators –

- i. The Solar Wind Generators of Hybrid Project (more than one legal owner) connected directly or via pooling stations to State Grid shall appoint a common Qualified Coordinating Agency (QCA) with a consensus and mutually agreed terms & conditions amongst the Generators. Any one of the lead Generator may also act as a QCA with the consensus among the generators connected via pooling stations to State Grid and shall be registered as a QCA at SLDC.
- ii. Solar Wind generators of the Hybrid Project (single legal owner) connected directly or via pooling station to State Grid may appoint a QCA or may act as a QCA and shall be registered as a QCA at SLDC.
- iii. If Solar Wind Generators of the Hybrid Project fail to appoint a common QCA within a period of two (2) month from the date of issue of notice by SLDC, then SLDC shall advise the concerned licensee for disconnection of defaulting generators. The Licensee shall take action accordingly under intimation to SLDC.
- iv. In case more than 50% of the installed capacity of Solar Wind Generators of the Hybrid Project have consented for a particular QCA, then remaining generators shall have to appoint same agency as a QCA. In case of non-compliance of SLDC instructions, SLDC shall advise the concerned licensee to disconnect the defaulting generators from the grid. The licensee shall comply with the instructions of SLDC under intimation to SLDC.
- v. Solar Wind generators of Hybrid Project (more than one legal owner) connected directly or via pooling stations to State Grid shall submit a consent letter as per format **Annexure-I** and copy of agreement made with QCA clearly specifying the "QCA" who shall be responsible for coordinating on behalf of all the generators connected directly or via Pooling Station to State Grid on issues like forecasting, scheduling, deviation charges, metering, SCADA, and other responsibilities assigned to QCA in the MPERC (FSDSM) Regulations 2018 and subsequent amendments thereof. All wind and solar generators of Hybrid Project shall provide all the required support to the Qualified Coordinating Agency (QCA).
- vi. QCA shall be the single point of contact with SLDC on behalf of its coordinated generator(s).

4. Registration of QCA with SLDC –

- a. The QCA shall submit the consent letters and copy of agreement with Generators who have appointed him as a QCA and then apply for registration with SLDC.
- b. The QCA shall apply for registration with SLDC by submitting duly filled up application form as per the format (**Annexure-II**), Undertaking as per format (**Annexure-III**), Declaration as per format (**Annexure-IV**).
- c. The eligible QCA will be registered with SLDC and Registration No. will be provided by the SLDC. After registration with SLDC, QCA shall be treated as State Entity for the purpose of MPERC (FSDSM) Regulations 2018.
- d. Each Solar Wind Hybrid Project shall have one QCA. However, one QCA can be registered for many Hybrid Projects. In case a Solar Wind Hybrid Project (single legal owner) is connected directly or via pooling station to the State Grid, then such Project Owner can also act as a QCA and get registered with SLDC by submitting the duly filled up Application form, Undertaking & Declaration.
- e. In case QCA has obtained registration on the basis of false information or by suppressing material information, the registration of such entity shall be revoked.
- f. The registration of the QCA will be revoked on the request of majority generators who have appointed the QCA.
- g. The QCA may cancel their Registration by submitting No Objection Certificate (NOC) from the concerned Generators. The Generators shall choose another QCA and get it registered before issuing NOC to old QCA.
- h. In the event of non-compliance of any of the terms/conditions/rules outlined under regulation 2(1)(s) of MPERC (FSDSM) Regulations 2018 and amendment thereof by QCA, then the registration of the QCA will be revoked by the SLDC.

5. Roles and Responsibilities of QCA –

QCA shall be the single point of contact with SLDC on behalf of all the Generators of Solar Wind Hybrid Project for the following purpose:

- i. QCA shall provide 15 minutes block wise Available Capacity and Forecasted Generation on day ahead basis with Intradayperiodic revisions of the same to SLDC on behalf of all the Solar Wind Generators connected to the pooling station(s) of Hybrid Project and also coordinate with SLDC for scheduling.
- ii. QCA shall be responsible for coordination with STU/ Discoms / SLDC for installation of Special Energy Meters (SEM) alongwith AMR facility (modem, antenna & SIM) and integration of SEM with AMR Server of SLDC for meter data downloading remotely at SLDC.
- iii. QCA shall ensure periodical testing and calibration of SEMs as per CEA(Installation and Operation of Meters) Regulations and M.P. Electricity Grid Code.
- iv. QCA shall undertake commercial settlement of deviation charges which includes payment / receipt of deviation charges to / from the State Deviation Pool Account on behalf of Generators.
- v. QCA shall undertake de-pooling of amount (payable / receivable) on behalf of the generators from the State Deviation Pool Account and settling them with the individual generators.
- vi. QCA shall undertake commercial settlement of all other charges on behalf of the generators as specified under these Regulations as amended fromtime to time.
- vii. QCA shall submit details of contracts entered by Wind and Solar Generators connected to a pooling station. QCA shall obtain PPA rates on affidavit from Generators supported by the copy of PPA and submit the same to SLDC for computation of deviation charges:

Provided that such information will not be shared to any party by SLDC without prior consent of Generators.

- viii. QCA must have a designated and qualified operator available for twenty-four (24) hours a day every day for contact and Communication with the SLDC, in accordance with SLDC instructions and other communication policies and protocols.

- ix. QCA shall provide Turbine/Inverter wise and pooling stations details (Static data) as per REMC format available at SLDC website www.sldcmpindia.com → RE Generator Info → REMC Format, or as required by SLDC.
- x. QCA shall co-ordinate and transmit the data of operation of Low Voltage Ride Through (LVRT) on monthly basis to SLDC.
- xi. The QCA shall maintain historical data, all turbine / inverter wise and pooling station wise SCADA data and forecasting & scheduling data of pooling station and other necessary records, registers and accounts and shall furnish the same to SLDC on request.
- xii. QCA shall ensure Available Capacity (AvC) and data exchange of other parameters from QCA to SLDC and will also ensure data transfer of Available Capacity (AvC) of individual Turbines / inverters and maintenance schedules invariably, for use of SLDC in producing power forecasts and Deviation calculations.
- xiii. QCA shall ensure transfer of turbine / inverter level SCADA data to Pooling Station in real time and from the Pooling Station to the connected Grid Substation shall be transmitted to SLDC without any interruption. The guidelines for providing telemetry data shall be as per **Annexure-V**.
- xiv. QCA shall be treated as a State Entity and shall be registered with SLDC.

6. Pre-conditions for participation in Deviation Settlement Mechanism:

Necessary preconditions and covenants for participation in Deviation Settlement Mechanism by Solar Wind Hybrid Project shall be as under: -

- i. Solar Wind Hybrid Project and their QCA shall have equal and non-discriminatory treatment as regards the 'Deviation Settlement Mechanism'.
- ii. Solar Wind Hybrid Project through their QCA shall inform the SLDC of all contracts they have entered into for exchange of energy.

- iii. SLDC shall take all decisions with regard to the despatching of stations after evaluating all possible network parameters, constraints, congestions in the transmission network and in the eventuality of any such network aberration, the instructions by the SLDC with regard to despatch shall be binding on all Solar Wind Hybrid Projects / QCA.
- iv. Solar Wind Hybrid Projects shall operate their equipment and loads in a manner that is consistent with the provisions of the Indian Electricity Grid Code (IEGC) and the Grid Code.
- v. Solar Wind Hybrid Projects shall enter into BPTA (Bulk Power Transmission Agreement) and Connection Agreement with the transmission licensee, which shall specify the physical and operational requirements for a reliable operation and gain physical access and connection to the Intra-State Transmission System (InSTS) or enter into Connection and Use Agreement with concerned Distribution Licensee for use of distribution system, as the case may be.
- vi. SLDC shall publish all such information as required for implementation of MPERC (FSDSM) Regulations 2018 and amendment thereof for Solar Wind Hybrid Projects on its website.
- vii. All Solar Wind Hybrid Projects shall make necessary arrangements for putting up suitable SEM, capable of recording energy flows at 15-minutes intervals alongwith AMR facility (Modem, Antena & SIM) for data downloading at SLDC, at the points of injection as per CEA Regulations and MP Electricity Grid Code, as amended from time to time. Any new SEM to be installed in future shall be capable of recording the data both in 5 minutes and 15 minute time interval.
- viii. In case of Solar Wind Hybrid Projects as state entities undertaking intra-state transactions and inter-state transactions simultaneously from their Solar Wind Hybrid Projects, then inter-state as well as intra-state transactions shall be allowed provided that such transactions are done through separate feeders connected at LV side of the Pooling Substation and metering, scheduling, energy accounting and deviation settlement account for such feeders are maintained separately. In case of such transactions, the LV side feeders connected at pooling substation shall be considered as pooling station for Inter and Intra State transactions.

7. Declaration of Available Capacity (AvC), Forecasting, Scheduling and Despatch:

- i. The Declaration of Available Capacity (AvC), forecasting and Scheduling of Solar Wind Hybrid Projects shall be as per the provision of MPERC (FSDSM) Regulations 2018 and Madhya Pradesh Electricity Grid Code and subsequent amendments thereof.
- ii. The scheduling period shall comprise of 96 time blocks, each of 15 minute duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). The first-time block of scheduling period shall commence from 00:00 hours (IST) to 00:15 hours (IST), second time block of scheduling period shall commence from 00:15 hours (IST) to 00:30 hours (IST) and so on:

Provided that from the date to be notified by the Commission, the scheduling period shall be revised to 288 time blocks, each of 5-minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). Accordingly, the Interface Metering, Energy Accounting and Deviation Settlement should be capable to undertake transactions with 5-minute duration. All future resource planning, IT and communication system requirement and infrastructure development shall be undertaken to cater to this requirement.

- iii. QCA shall declare the AvC and forecasted generation in 15-minute time block for each Solar Wind Hybrid Project on behalf of Generators connected to pooling stations. The AvC and Forecast shall be declared on day ahead basis and can be revised during the real time operation. In case, Solar Wind Project is connected at same location i.e. co-located, then QCA shall declare the AvC and forecast at the pooling station of the project. In case of Solar Wind Hybrid Project connected at maximum at two different locations through dedicated feeders, then QCA shall declare the aggregate AvC and forecast by combining the AvC and forecast of two different locations for the Solar Wind Hybrid Project.
- iv. QCA shall submit the Day ahead AvC and Forecast in a time block of 15 minutes for the next day to SLDC upto 06:00Hrs in the proforma (**Annexure-VI**).
- v. The schedule by such Solar Wind Hybrid Projects which are State Entities supplying Intra / Inter State power under long-term or medium term or short-term open access may be revised by giving advance notice to SLDC. The revisions can be made in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Electricity Grid Code 2024 and amendment thereof.

- vi. QCA shall submit the Available Capacity (AvC) and forecast of Solar Wind Hybrid Projects based on availability of the generator, weather forecasting, solar insolation / irradiance, season and normal solar generation curve. The QCA shall declare AvC considering the cumulative capacity rating of the wind turbines and solar inverter that are capable of generating power in a time block but not exceeding the quantum in MW for which connectivity permission is granted and for the same transmission agreement has been executed with Licensee.
- vii. Revision in schedules by the Solar Wind Hybrid Projects selling power through collective transactions shall not be permitted.
- viii. SLDC shall create a web portal for directly uploading the AvC and Forecast by QCA. Each QCA shall be provided login ID and password. After logging-in, QCA shall be able to submit the AvC and Forecast on day ahead basis and submit revisions during real time operations. The QCA shall have to submit the AvC and Forecast through this web portal and also at mail id – **sldc.abt@mptransco.nic.in**.
- ix. QCA shall submit separate AvC and Forecast for Intra State and Inter State Transactions of Solar Wind Hybrid Projects.
- x. The forecasting of Solar Wind Hybrid Projects shall also be done by SLDC through Renewable Energy Management Centre (REMC) to facilitate safe, secure and reliable grid operation. QCA shall provide all static data, real time power system parameters and weather-related data as applicable at Turbine / Inverter Level and at polling stations along-with turbine/inverter outage plan for forecasting by SLDC. The forecasting of Solar Wind Hybrid Projects done through REMC shall be published at SLDC website.
- xi. QCA shall have the option of accepting SLDC forecast or providing their own for scheduling by SLDC. Any commercial impact on account of deviation from schedule based on forecast chosen by the Solar Wind Hybrid Projects or QCA shall be borne by the respective Generators of Solar Wind Hybrid Projects / Pooling Stations.
- xii. On receipt of day ahead forecast of Solar Wind Hybrid Projects by QCA, SLDC shall issue the despatch schedule of Solar Wind Hybrid Projects and the same shall be uploaded on SLDC website.

- xiii. In the event of contingencies, transmission constraints, congestion in the network, threat to system security, the schedule of Solar Wind Hybrid Projects shall be curtailed by SLDC as per provisions of MPERC (FSDSM) Regulations 2018 for ensuring secure and reliable grid operation.
- xiv. In case of any planned curtailment/ shutdown/ system constraint necessitated in certain time blocks of a day by the SLDC, Solar Wind Hybrid Projects / QCA shall be responsible to restrict the generation at site as per the advice of the SLDC and accordingly the QCA/ Solar Wind Hybrid Projects shall revise the schedule.
- xv. In case of any unplanned curtailment / shutdown / tripping of transmission elements or removal of curtailment / restoration of transmission elements, the generation capacities thus reduced or increased by the Solar Wind Hybrid Projects for the immediate time blocks shall be exempted from DSM calculations (scheduled generation shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation) till the 4th time block after communication with SLDC, the first block being the one in which the communication to SLDC has been made.
- xvi. SLDC shall prepare 15 minutes block-wise implemented schedules of the Solar Wind Hybrid Projects (pooling station-wise) based on Forecasting and Intra-day revisions provided by QCA and shall publish the same on SLDC website within three days. The implemented Schedules issued by SLDC, shall be open to QCAS' for checking / verification, for a period of five (5) days. In case of any omission / mistake is intimated by QCA, the SLDC shall forthwith make a complete check and rectify the same.
- xvii. Solar Wind Hybrid Projects are required to declare Available Capacity (AvC) of their Pooling Stations correctly. If any discrepancy in declaration of AvC is noticed by SLDC during the real time operation, the same shall be treated as Gaming and reported to State Commission.

8. Metering, Data Collection / Transmission and Communication:

- i. In case of non-receipt of meter data through AMR system installed at SLDC, it shall be responsibility of concerned Licensee to ensure and arrange manual downloading the meter data and provide to SLDC on email ID **abtmpsem@gmail.com** within two days from the date of intimation by the SLDC. Discoms and STU shall nominate a Nodal Officer responsible for providing meter data to SLDC.

- ii. In Solar Wind Hybrid Projects, where there is no separate pooling station and feeder is directly connected at Grid Substation, Interface meter installed at the metering yard before the Grid Substation or at Grid Substation shall be considered as a pooling station for computation of deviation charges of Solar Wind Hybrid Project.

9. Computation of Deviation Charges:

- i. SLDC shall compute the deviation charges of qualified Solar Wind Hybrid Projects Pooling Stations of Hybrid Project, based on the forecast submitted by the QCA / Schedules issued by SLDC and SEM data received by SLDC from concerned Discoms / STU or through AMR System.
- ii. The Deviation Charges for Solar Wind Hybrid Power Project connected at two different locations with the State Grid shall be computed by considering total aggregated meter data of Pooling Stations and total aggregated AvC& Schedule of the Solar Wind Hybrid Power Project:

Provided that total transaction of power shall be either Inter State or Intra State from both the connected locations i.e pooling stations.

- iii. The Deviation Charges for Solar Wind Hybrid Power Project connected at two different locations with the State Grid and transacting power Inter State from one location and Intra State from another location i.e pooling station, then the Deviation Charges shall be computed separately for each type of transaction at pooling stations.
- iv. The Deviation Charges for Solar Wind Hybrid Power Project connected at only one location i.e. co-located with the State grid and transacting power Inter State as well as Intra State from the same pooling station, then the Deviation Charges shall be computed separately for each type of transaction considering the schedule and meter data of LV side feeder(s) connected at the pooling station.

- v. The Deviation Charges of Solar Wind Hybrid Projects shall be computed on weekly basis coinciding with the mechanism followed for Solar and Wind Generating Stations Deviation Charges Accounts.
- vi. SLDC shall publish the Deviation Charges Account of Solar Wind Hybrid Stations along with Wind and Solar Generating Stations as per MPERC (FSDSM) Regulations 2018 on SLDC website which shall be open to the respective entities for checking / verification for a period of 15 days. In case of any discrepancy is pointed out by QCA, SLDC shall forthwith make a complete check and rectify the mistake and re-publish the Deviation Charges Account on SLDC website.
- vii. In case Qualified Coordinating Agency (QCA) or Solar Wind Hybrid Stations do not furnish the available capacity and forecasted generation to SLDC. Then the Deviation Charges of such pooling stations shall be computed considering the available capacity and forecasted generation as Zero '0'.
- viii. The computation of Deviation Charges of Solar Wind Hybrid Stations under taking Inter-State transactions shall be done in accordance with **Table -IA and IB** and that of under taking Intra-State transactions shall be done in accordance with **Table -III** of Second amendment to MPERC (FSDSM) Regulations 2018 and amendments thereof in accordance with provisions are outlined under following sub-clauses:
 - a. **Solar Wind Hybrid Generating Stations undertaking Inter-State transactions:**
 - i. The Solar Wind Hybrid Stations which are state entities undertaking Inter-State transactions shall be paid as per scheduled generation.
 - ii. In the event of actual generation being lesser than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall in generation shall be payable by such Solar Wind Hybrid Stations which are state entities into State Deviation Pool Account as given in **Table-1A** enclosed at the end of the procedure.
 - iii. In the event of the actual generation being more than the scheduled generation, the Deviation Charges for excess generation shall be payable to the Solar Wind Hybrid Stations from State Deviation Pool Account as given in **Table-IB** enclosed at the end of the procedure.

- iv. The Fixed Rate referred under **Table IA&IB** is the PPA rate as determined by the Commission under Section 62 of the Electricity Act 2003 or adopted by the Commission under Section 63 of the Electricity Act 2003. In case of multiple PPAs, the weighted average of the PPA rates shall be taken as the Fixed Rate. The Solar Wind Generators shall furnish the PPA rates on affidavit for the purpose of deviation charges account preparation to SLDC supported by copy of the PPA.
 - v. Fixed Rate for Open Access participants where no PPA rate is available shall be the Average Power Purchase Cost (APPC) rate at the National level, as may be determined by the Central Commission from time to time through separate order.
 - vi. Regarding inter-state wheeling transactions of Solar Wind Hybrid Generating Stations as State Entities, for balancing of deemed renewable purchase obligation (RPO) compliance of buyers with respect to schedule, deviations by all Solar Wind Hybrid Generating Stations shall first be netted off for the entire pool on a monthly basis and any remaining shortfall in renewable energy generation must be balanced through purchase of equivalent Other Renewable Energy Certificates (RECs), as the case may be, by SLDC or agency maintaining the pool account by utilizing funds from the Pool Account. For positive balance of renewable energy generation, equivalent notional RECs shall be credited to the DSM Pool and carried forward for settlement in future.
- b. Solar Wind Hybrid Generating Stations undertaking Intra-State transactions:**
- i. The Solar Wind Hybrid Generating Stations which are State Entities undertaking Intra State transactions shall be paid as per actual generation.
 - ii. In the event of actual generation of a generating station or a pooling station, as the case may be, being less or more than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall or excess generation shall be payable by the Solar Wind Hybrid Generating Stations or the QCA, as the case may be, to the State Deviation Pool Account, as given in **Table - III** enclosed at the end of the procedure.
 - iii. SLDC shall maintain separate records and account of time-block wise schedules, actual generation, deviations and deviation charges for all Solar Wind Hybrid Generators.

- iv. All Solar Wind Hybrid Generator shall be treated together as a virtual pool within the State Deviation Pool Account. Deviations for and within this virtual pool could be settled first at the rates and methodology stipulated above for Solar Wind Hybrid Generators.

10. Settlement of Deviation Charges:

The Settlement of Deviation Charges of Solar Wind Hybrid Generating Stations shall be done as per the provisions specified in MPERC(FSDSM) Regulations 2018 and amendment thereof, for Wind and Solar Pooling Stations.

11. Payment of Security towards Deviation Charges:

QCA shall be required to submit to SLDC the payment security in the form of a Bank Guarantee (BG) towards settlement of DSM charges of Solar Wind Hybrid Generating Stations with State Deviation Pool Account:

- i. For Solar Wind Hybrid Generation Projects- Rs.25,000/- per MW for combined installed capacity of Solar Wind Hybrid Generating Stations or for the quantum in MW for which connectivity permission is granted whichever is less.
- ii. The BG submitted shall be valid for a period of 3 years and issued by any Scheduled Commercial Bank and shall be extended from time to time as required. The payment security shall be reviewed by the SLDC every year by the end of May based on actual incidence of DSM charges during the previous financial years.
- iii. In case of failure to pay into the "State Deviation Pool Account" within the specified time of 12 days from the date of issue of statement of charges for Deviation, and payment is not made even after laps of 60 days from the date of issuance of DSM account the SLDC shall encash the BG of the concerned QCA and the concerned QCA shall recoup the same within a period of 15 days.

12. Compliance of SLDC Instructions:

Notwithstanding anything specified in these procedures, the Solar Wind Hybrid Generators and QCA shall strictly follow the instructions issued by State Load Despatch Centre on injection in the interest of grid security and grid discipline.

13. Event of default and consequences thereof:

Following events shall constitute event of default by QCA /Generators:

- a) Non-payment or delay in payment of Deviation Charges by QCA/Generators.
- b) Non-compliance of any of the terms/conditions/rules outlined under this Procedure and FSDSM Regulations 2018 and amendment thereof.
- c) Non-compliance of any of the directives issued by SLDC, so long as such directives are not inconsistent with any of the provisions of FSDSM Regulations 2018 and amendment thereof.
- d) Obtained registration on the basis of false information or by suppressing material information.

Consequences thereof :

- a) The SLDC shall provide 15 days' time to the QCA / Generators to present their case before serving the Notice for disconnection from the Grid.
- b) In case QCA/Generator fails to address/rectify the default expressed by the SLDC in the Notice within stipulated time period of 14 days, the SLDC shall proceed with revocation of registration of QCA and disconnection from grid.

14. Removal of difficulties:

In case of any difficulty in implementation of this procedure, SLDC may approach the Commission for review or revision of the procedure with requisite details for removal of difficulties.

Table - IA: Deviation Charges in case of under injection by Solar Wind Hybrid Generating Stations as State Entities undertaking Inter-state transactions.

Sr. No.	Absolute Error in 15-minute time block.	Deviation Charges payable to State Deviation Pool Account
1.	$\leq 10\%$	At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 10%.
2.	$>10\%$ but $\leq 15\%$	(At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 10%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 10% and upto 15%)
3.	$>15\%$	(At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 10%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 10% and upto 15%) + (150% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15%.

Table -IB: Deviation Charges in case of over injection by Solar Wind Hybrid Generating Stations as State Entities undertaking Inter-state transactions.

Sr. No.	Absolute Error in 15-minute time block.	Deviation Charges receivable from State Deviation Pool Account
1.	$\leq 10\%$	At the Fixed Rate for the excess energy upto 10%.
2.	$>10\%$ but $\leq 15\%$	(At the Fixed Rate for the excess energy upto 10%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 10% and upto 15%)
3.	$>15\%$	(At the Fixed Rate for the excess energy upto 10%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 10% and upto 15%) + Zero for excess energy beyond 15%)

Table -III: Deviation Charges in case of under-injection or over injection by Solar Wind Hybrid Generating Stations for sale of power within State i.e. Intra State.

Sr. No.	Absolute Error in 15-minute time block.	Deviation Charges payable to State Deviation Pool Account
1.	$\leq 10\%$	None
2.	$> 10\%$ but $\leq 15\%$	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 15%)
3.	$>15\%$ but $\leq 20\%$	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 15%) + (At the Rs 0.75 per unit for balance energy beyond 15% and upto 20%)
4.	$>20\%$	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 15%) + (At the Rs 0.75 per unit for balance energy beyond 15% and upto 20%)+(At the Rs 1.00 per unit for balance energy beyond 20%)

ANNEXURE-I**Consent Letter Proforma**

To,

The Chief Engineer,
State Load Dispatch Centre,
MPPTCL, Nayagaon,
Jabalpur-482008.

Sub: Appointment of QCA as per MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018 as amended from time to time.

Dear Sir,

I/We would like to inform you that I/we as the Solar Wind Hybrid Generator at (name) pooling stations have decided to exclusively appoint only as the Qualified Coordinating Agency (QCA) for Forecasting, Scheduling and Commercial Settlement, as per MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018 as amended from time to time.

Kindly find below the details of our capacity at (Name) pooling station having MW.

Sr.No.	Customer Name	No. of WTGs / Invertors	Contact Person	Mail ID & Contact No.	Capacity in MW
1	Name	Y	Name	Mail ID and contact No.

We would like to state that henceforth the role of QCA at (Name) Pooling station will be taken care by.....

Contact Person 1.....

Address:

Phones (o)....., (M):..... (E-mail):.....

Contact Person 2:.....

(M):....., (E-mail).....

Contact Person 3:.....

(o):....., (E-mail):.....

This is for your kind information and records.

Regards,

<< Signing Authority Name >>

<< Signing Authority Designation>>

Annexure II

APPLICATION FOR REGISTRATION OF QUALIFIED COORDINATING AGENCY (QCA) WITH SLDC

Sr. No	Particulars	
1	Applied for - Tick the relevant	New Registration / Change of Registration / Cancel Registration
2	Name of the Qualified Coordinating Agency(QCA)	
3	Registered Address	
4	Phone No./Fax/E-mail Id of Office	
5	Phone No./Fax/E-mail Id of Control Room	
6	Nodal Officer / Contact Person - Name, Designation, Address, Mobile, Fax & Email.	
7	Pooling Station wise total Wind / Solar Generating Capacity for which QCA registration is required.	
8	Pooling Stations wise list of Generators alongwith Consent letter & Agreement with Generators is enclosed. The list includes - Pooling Station (Name & Address), Capacity in MW, Type, Voltage in KV, Grid Substation Name, Name of Generators connected with Capacity in MW).	
9	Date of Commencement of agreement between QCA and Generators.	
10	Period of agreement with Generators.	
11	Details of Registration Fee payable to SLDC (Mode / No / Date)	
12	Bank Account Details of QCA for handling DSM mechansim-	
(i)	Bank A/C No. -	
(ii)	Bank IFSC Code -	
(iii)	Name of Bank -	
(iv)	Bank Address -	
13	Undertaking:	
(i)	We hereby undertake to abide by the instructions issued by the SLDC for compliance of regulatory provisions of MPERC(Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechansim and related matters of Wind and Solar Generating Stations) Regulations 2018 and subsequent amendments thereof.	
(ii)	We also undertake to inform SLDC regarding termination / breach of the agreement if any and shall not discharge the QCA functions without valid authorisations by Generators.	
(iii)	We also agree to pay the registration fee as approved by MPERC from time to time.	
		Signature of the Authorised Officer

ANNEXURE-III**UNDERTAKING TO BE GIVEN BY PROSPECTIVE QCA AT THE TIME OF REGISTRTRATION**

Name: M/s..... (Name of QCA), (Postal address)
.....

[To be provided by the QCA on a 100 Rs. stamp paper]

1. We, as a QCA will be regulated by MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and related matters of Solar and Wind Generating Stations) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereof.
2. We as a QCA shall be responsible for settlement of Deviation Charges as per the MPERC regulations for the Solar Wind Hybrid pooling station/ RE Generators for which we represent as a QCA.
3. As per the MPERC Regulations, we as a QCA, agree to provide the forecasting schedules to SLDC on day-ahead basis on behalf of Solar Wind Hybrid pooling station/ RE Generators connected to STU /DISCOM substations.
4. We as a QCA agree to provide the consent letter from all the generators connected to the pooling station/ RE Generator for being appointed as the QCA.
5. We understand that we can revise schedules as per the Madhya Pradesh Electricity Grid Code-2024.
6. We agree that if there is any deviation from the schedule, then for such Energy, Deviation charges will be applicable as per the MPERC regulations and amended from time to time.
7. We shall be responsible for commercial settlements with the SLDC on behalf of solar wind generators connected to the Hybrid pooling station.
8. We understand that SLDC will compute the Deviation charges of pooling stations as per MPERC FSDSM Regulations 2018 and as amended and publish the same on its website on a weekly basis.

10. We as QCA will abide by MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018, as amended from time to time for all transactions.

11. We shall establish necessary SCADA data of the turbine / inverter and pooling station for the purpose of monitoring and billing as per procedure.

12. In the event of any fault in generating system resulting in lower generation then, we will revise the forecast and the same shall be intimated to SLDC as per the procedure.

13. We agree to pay a Bank Guarantee for the amount equivalent to Rs. 25,000 per MW for Solar Wind Hybrid Generating stations.

14. We agree to provide WTG's/ Inverter wise static data and pooling stations details as per the formats specified by SLDC.

15. We agree, if payments against the Charges for Deviation Charges are delayed by more than two days i.e., beyond twelve (12) days from the date of issue of DSM account by SLDC, the defaulting QCA shall have to pay simple interest @ 0.04% for each day of delay. We further agree that in case the payment is not made by us even after a lapse of 60 days from issuance of DSM account, process to invoke BG shall be initiated by SLDC.

We are agreeing for the above terms and conditions for registering as QCA with SLDC, MPPTCL Jabalpur, Madhya Pradesh.

Details of Bank Guarantee is enclosed.

(Name and Postal address of QCA)

.....
.....
for Pooling station:

MPPTCL/DISCOM Substation Station:

Voltage level at injecting point:

List of generators connected to the pooling station along with installed capacity for which consent is obtained:

1.

2.

Declaration: All that is stated in the above is true and correct.

QCA Authorized Signatory

ANNEXURE-IV**DECLARATION**

(Declaration to be signed by the M.D./CEO/Authorised Signatory of the Applicant (QCA))

I/ We certify that all information furnished is / are true to the best of my/ our knowledge and belief.

I/We shall abide by such term and conditions that the MPERC, SLDC may impose to participate in the Forecasting, Scheduling and DSM for Solar Wind Hybrid Generating Stations from time to time.

I/ We hereby also confirm that:

I/We have obtained consent from all the generators connected to the Solar Wind Hybrid Pooling Stations as QCA and the copy of agreement is attached herewith.

S.No.	Name of Pooling Station	Name of Generator	No. of turbines / Inverters	Capacity of Each turbine/Inverter	Total Capacity	Accepted as QCA
1.						
2.						
Total capacity of Pooling Station						

INDEMNIFICATION

The Solar Wind Energy generators of Hybrid Project and QCA shall keep SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and save the SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions, including those relating to injury to or death of any person or damages to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from the Registration of QCA under DSM Mechanism.

The Solar Wind Energy generators of Hybrid Project and QCA shall keep SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and save the SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions, arising out of disputes with SLDC, as well as with generators and QCA inclusive of confidentiality issues.

Date:

Signature of the QCA.

ANNEXURE-V**GUIDELINES FOR PLANNING OF TELEMETRY AND VOICE COMMUNICATION**

The guidelines for planning of telemetry and voice communication for Solar Wind Hybrid Project shall be same as specified in Annexure-VI (Guidelines for Planning of Telemetry and Voice Communication) of First amendment to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating Stations) Regulations, 2018.

ANNEXURE-VI**STATE LOAD DESPATCH CENTRE - JABALPUR**

AVAILABLE CAPACITY (AvC) AND FORECASTED GENERATION OF -- MW SOLAR WIND HYBRID POWER
PROJECT OF M/s ----- AT POOLING STATION IN MW

FOR DATE:				
REV. NO.				
TIME				
REMARKS				
BLK NO.	FROM TIME	TO TIME	POOLING STATION NAME	
			AVAILABLE CAPACITY (AvC) IN MW	FORECASTED GENERATION IN MW
1	0:00	0:15		
2	0:15	0:30		
3	0:30	0:45		
4	0:45	1:00		
5	1:00	1:15		
6	1:15	1:30		
7	1:30	1:45		
8	1:45	2:00		
9	2:00	2:15		
10	2:15	2:30		
11	2:30	2:45		
12	2:45	3:00		
13	3:00	3:15		
14	3:15	3:30		
15	3:30	3:45		
16	3:45	4:00		
17	4:00	4:15		
18	4:15	4:30		
19	4:30	4:45		
20	4:45	5:00		
21	5:00	5:15		
.	.	.		
.	.	.		
.	.	.		
.	.	.		
.	.	.		
90	22:15	22:30		
91	22:30	22:45		
92	22:45	23:00		
93	23:00	23:15		
94	23:15	23:30		
95	23:30	23:45		
96	23:45	24:00		